

कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email Id: nodalofficeerdhn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

संख्या: 366 / 12-1 देहरादून: दिनांक:

8 अगस्त, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,

वन अनुभाग-03।

विषय :- जनपद- जनपद-बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत धरमधर कोटगन्धा मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/39043/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.1 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र पर संस्तुति कर इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 366 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप वन महानिदेशक (के०), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक/कुमाँऊ, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्ताव की एक फोटो प्रति अपने नियंत्राधीन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर, समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करते रहा जायें।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

W/C

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/39043/2019

17-	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।
-----	---	--

तिथि : 08/08/2024

स्थान : देहरादून


हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर
Principal Chief Conservator
of Forest Uttarakhand